

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक बून्दी

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित होने पर निम्न कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सामने अंकित नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में स्थानीय कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कस	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
01	राकेश चौधरी, कनिष्ठ सहायक, राउमावि रजवास, ब्लॉक बून्दी जिला बून्दी	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक टॉक के आदेश क्रमांक : जिशिअ/ मु0मा0 /टॉक/स-1/बेसिक कम्प्यू.अनु.22/2023 /175 दिनांक 13.04.2023

श्री राकेश चौधरी, कनिष्ठ सहायक, राउमावि का परिवीक्षाकाल पूर्ण हुआ है तो उनका वर्तमान धारित पद पर नियमानुसार लियन रहेगा। संबंधित प्रधानाचार्य को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अविलम्ब अवगत करावें।

(राजेन्द्र कुमार व्यास)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बून्दी
दिनांक:- 17.04.2023

क्रमांक:- जिशिअ/मुमा/बू/संस्था-1/2023/ 214
प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

01. निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
02. संयुक्त निदेशक महोदय (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग कोटा।
03. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बून्दी।
04. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी।
05. संस्थाप्रधान राउमावि रजवास को पाबंद किया जाता है कि विभागीय नियमानुसार कार्मिक से किसी भी प्रकार का बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने के पश्चात् ही कार्यमुक्त किया जावें।
06. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर प्रभाग को प्रेषित कर लेख है कि -राकेश चौधरी, कनिष्ठ सहायक, राउमावि रजवास का भर्ती 2018 में मेरिट क्रमांक 2781 की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
07. संबंधित कार्मिक श्री राकेश चौधरी।
08. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Rajendra Kumar Vyas
Designation: District Education Officer
Date: 2023.04.17 16:12:04 IST
Reason: Approved

